

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 1309 / 2024

हिम्मत सिंह शेखावत

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर (राज.)।
3. सहायक खान अभियंता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, नीमकाथाना।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 11.03.2024

आदेश की दिनांक : 26.03.2024

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक

समक्ष :- शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम-1976 की धारा-4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में खनिज कार्यादेश द्वितीय के पद पर कार्यालय सहायक खान अभियंता, नीमकाथाना में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यालय अधीक्षक खान अभियंता (विजिलेंस) कोटा किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण एक वर्ष से भी कम अल्पावधि में किया गया है। अपीलार्थी का पदस्थापन दिनांक 14.01.2023 को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर किया गया था। अपीलार्थी लीवर जैसी बीमारी से पीड़ित है और अपीलार्थी के ऊपर

पारिवारिक जिम्मेवारियां भी हैं। परिवार में अपीलार्थी के अलावा अन्य कोई सदस्य नहीं है। अपीलार्थी ने विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परंतु कोई निराकरण नहीं किया गया। उक्त परेशानियों को नजरअंदाज करते हुये भी अपीलार्थी का स्थानान्तरण कर दिया गया, जो रामेश्वर प्रसाद गुर्जर बनाम राज्य व अन्य में पारित न्यायिक विनिश्चय के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना-पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन खनिज कार्यादेश द्वितीय के पद पर कार्यालय सहायक खान अभियंता, नीमकाथाना में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यालय अधीक्षक खान अभियंता (विजिलेंस) कोटा किया गया है। परंतु अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति एवं वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य